निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1944 (श0)

(सं0 पटना 574) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2022

सं० 07 / विविध–28–01 / 2022–23–10(7)–स्वा०

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

21 अप्रील 2022

विषयः–''मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)–2013 के वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी नहीं हैं, को प्रति परिवार प्रति वर्ष पाँच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु, योजना एवं इस योजना को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति (राज्य स्वास्थ्य अभिकरण) के माध्यम से एस्योरेंस मोड में संचालित करने की स्वीकृति।

वर्त्तमान में पूरे राज्य में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक–जातिगत जनगणना (SECC), 2011 के आंकड़ों से, पात्रता के आधार पर चिन्हित परिवारों को, स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है।

2 उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के आम नागरिकों का द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की पाँच लाख रुपये तक, प्रति वर्ष प्रति परिवार, की चिकित्सा की सुविधा को देश के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में, बिना बीमा कम्पनी को शामिल किये, कैशलेस एवं पेपरलेस व्यवस्था के तहत मुफ्त में उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को संस्थागत इलाज के क्रम में Out of Pocket Expenditure (OoPE) को शून्य करना एवं उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इसके वर्त्तमान में कुल 1.09 करोड़ लाभार्थी परिवार हैं।

3 आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में है। इस योजना से, वर्त्तमान में, राज्य के 50% परिवार अच्छादित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 डाटाबेस के सभी परिवार इस योजना से अच्छादित नहीं हैं, जिससे बहुत सारे जरूरतमन्द परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

4 उक्त परिप्रेक्ष्य में, सम्यक् विचारोपरान्त, राज्य सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना'' के नाम से नई योजना प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी नहीं है, को भी प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।

5 ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना'' के अन्तर्गत भी आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से, बिना बीमा कम्पनी को शामिल किये, चिकित्सा प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को पहले से मौजूद सभी बीमारियों पर योजना के पहले दिन से चिकित्सा सुरक्षा प्राप्त होगी।

6 ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना'' का एस्योरेंस मोड पर संचालन, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के रूप में गठित बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नियम, शर्त्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 डाटाबेस अन्तर्गत अच्छादित परिवार पूर्व से सत्यापित हैं तथा यह डाटाबेस आधार संख्या से जुड़ा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 डाटाबेस के केवल वैसे परिवार जो आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अच्छादित नहीं है, ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना'' (MM-JAY) के पात्र होंगे।

8 लाभार्थी को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना'' में से किसी एक हीं योजना का लाभ मिल सके इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकरण द्वारा उपयोग में लाये जा रहे डाटाबेस एवं आई० टी० प्लेटफार्म में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा ताकि राशन कार्ड संख्या के आधार पर ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना'' के लाभार्थियों की पहचान की जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 डाटाबेस में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को प्रदान की गयी HHID संख्या उपलब्ध है। इस प्रकार लाभार्थी किसी एक ही योजना का लाभ ले सकेंगे एवं योजनावार लाभार्थी की पहचान भी की जा सकेगी।

9 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के अन्तर्गत राशन कार्डधारी परिवारों की सूची निरन्तर अद्यतन की जाती है। अतः ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना'' के लाभार्थी परिवारों की सूची अद्यतन रहे, इस हेतु खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा यह डाटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

10 इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2022–23 में सुसंगत बजट शीर्ष खुलवाते हुए एवं आवश्यक उपबंध प्राप्त कर किया जाएगा।

11 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक, दिनांक–18.04.2022 के मद संख्या–26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

12 यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम ईश्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 574-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in